9/2

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 487–एक/2012 – विरूद्ध आदेश दिनांक 14–12–2011 – पारित व्दारा – कलेक्टर जिला सिंगरोली – प्रकरण क्रमांक 194/2006–07 निगरानी

बैजनाथ पुत्र बंशरूप साहू
ग्राम धबई तहसील चितरंगी
जिला सिंगरोली, मध्य प्रदेश ———आवेदक

विरूद्ध

1– श्रीमती बेसनी पत्नि शिवधारी सिंह गौड़
मृत वारिस
अ– बचन सिंह
ब– बांकेलाल तीनों पुत्रगण स्व.षिवधारी सिंह
स– राजबली
सभी निवासी ग्राम धबई तहसील चितरंगी
जिला सिंगरोली
2– मध्य प्रदेश शासन ———अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री एन0के0मिश्रा)
(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित–एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 9 – 3 –2018 को पारित)

यह निगरानी कलेक्टर जिला सिंगरोली के प्रकरण क्रमांक 194/2006–07 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 14–12–2011 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि तहसीलदार चितरंगी ने प्रकरण क्रमांक 44 अ 19/2001–02 में पारित आदेश दिनांक 28–6–2002 से ग्राम धबई के 43 भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि का आवन्टन किया । इसी आदेश व्दारा

महिला बेसनी पत्नि शिवधारी सिंह को भूमि सर्वे कमांक 656 रकबा 0.39 है. भूमि का बन्टन किया गया। तहसीलदार के आदेश दिनांक 28-6-2002 से इस महिला को किये गये भूमि आवंटन के विरूद्ध आवेदक ने कलेक्टर जिला सिंगरोली के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। कलेक्टर जिला सिंगरोली ने प्रकरण कमांक 194/2006-07 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 14-12-2011 से निगरानी निरस्त कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने , उन्होंने लेखी बहस भी प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग के भूमि बन्टन नियमों के अनुसार अनुसूचित जाति एंव जनजाति समूल के भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि की नोईयत परिवर्तन करके भूमियों का आवंटन करना था किंतु तहसीलदार ने इन नियमों का पालन किये बिना आदेश दिनांक 28-6-2002 से अपात्र व्यक्तियों को भूमि का बन्टन किया है क्योंकि महिला बेसनी भूमि आवंटन के लिये पात्र नहीं है। भूमि बन्टन के पूर्व इस्तहार का प्रकाशन नहीं कराया गया है। जो भूमि महिला बेसनी को आवंटित की गई है उस पर आवेदक का मकान बना है एंव परिवार के साथ रहकर भूमि पर कृषि कार्य करते हुये परिवार का पालन पोषण करता आ रहा है। बिना अतिक्रमण हटाये एंव आवेदक के हितबद्ध होते हुये भी गलत तरीके से भूमि का बन्टन किया गया है जिसे निरस्त करने की मांग की गई।

5/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने/ लेखी बहस के तथ्यों एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि आवेदक स्वयं स्वीकार कर रहा है कि महिला बेसनी को आवंटित भूमि सर्वे कमांक 656 रकबा 0.39 है0 शासकीय भूमि है जिस पर उसका अतिक्रमण है। कलेक्टर जिला सिंगरोली के प्रकरण कमांक 194/2006-07 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 14-12-2011 के अवलोकन से परिलक्षित है कि यही

आपत्तियॉ आवेदक की ओर से कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की गई थीं, जिन पर आदेश दिनांक 14-12-2011 के पद 5 में कलेक्टर का निष्कर्ष इस प्रकार है-

" शासन के विभिन्न परिपत्रों द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार चरनोई भूमि के निर्धारित क्षेत्रफल के अतिरिक्त भूमियों को उक्त प्रयोजन से मुक्त कर अनुसूचित जाति एंव जनजाति के भूमिहीन व्यक्तियों को कृषि प्रयोजन हेतु आवंटित किया जाना था। ऐसी भूमियां अन्य वर्ग के व्यक्तियों के अतिक्रमण में होने की स्थिति में अतिक्रमण हटाए जाकर आवंटन करने एंव आवंटितियों को कब्जे सोंपने के निर्देश थे। निगरानीकर्ता उपरोक्त निर्देशों के तहत प्रश्नाधीन भूमि को आवंटन में पाने का पात्र नहीं था। आवंटिती महिला वेवा बेसनी को केवल इस आधार पर आवंटन के लिये अपात्र बताया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि पर निगरानीकर्ता का कब्जा था। भले ही निगरानीकर्ता का कब्जा रहा हो, किन्तु चूँकि वह अनुसूचित जति/ जनजाति वर्ग का भूमिहीन कृषक नहीं था, अतएव उसे प्रश्नाधीन भूमि आवंटन में पाने की पात्रता नहीं थी। फलतः शासन के निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में उसे बेदखल कर अनुसूचित जाति/ जनजाति के पात्र भूमिहीन व्यक्ति को आवंटन किया जाना था जो किया गया हैं मूल प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सभी आवंटितियों को उन्हें आवंटित भूमियों का तत्समय कब्जा भी दिलाया गया था। आवंटन आदेश जारी होने के करीब साढ़े चार वर्ष वाद कब्जे के आधार पर प्रश्नाधीन आदेश के विरूद्ध निगरानी के माध्यम से प्रस्तुत यह चुनौती विहित प्रावधानों के अनुकूल नहीं होने से स्वीकार योग्य नहीं पाई जाती। "

कलेक्टर सिंगरोली के उक्तानुसार निष्कर्ष से असहमत होने का कोई कारण नहीं है क्योंकि विधवा महिला बेसनी को आवंटित भूमि आवंटन के पूर्व मध्य प्रदेश शासन की है एंव मध्य प्रदेश शासन की भूमि पर यदि कोई बेजा कब्जा करता है तब उसके विरूद्ध संहिता की धारा 248 के अंतर्गत बेदखली की कार्यवाही एंव कब्जा न छोड़ने पर सिविल जेल की कार्यवाही की जाती है जिसके कारण विचाराधीन भूमि पर कब्जे के आधार पर आवेदक को किसी प्रकार के दावा करने का हक नहीं है जिसके कारण वह भूमि आवंटन का पात्र भी नहीं है।

6/ जहां तक इस्तहार जारी न करने के संबंध में की गई आपत्ति का प्रश्न है ? तहसीलदार चितरंगी के प्रकरण क्रमांक 44 अ 19/2001-02 में पृष्ठ 12 एंव 13 पर उदघोषणा फार्म 'अ' एंव कंडिका 7 के अंतर्गत जारी उद्घोषणा

तथा जिन खसरा नंबरों की भूमि आवंटित की जाना है उसकी सूची संलग्न की कार्यालयीन प्रति संलग्न है जिसके क्रम में सरपंच ग्राम पंचायत क्षेत्र धवई विकास खंड चितरंगी जिला सीधी ने भूमिहीन 92 व्यक्तियों की स्वतहस्ताक्षरित सूची तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत की है तब यह नहीं माना जा सकता कि तहसीलदार ने ग्राम पंचायत को सूचना नहीं दी एंव इस्तहार का प्रकाशन नहीं किया, क्योंकि राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-3 में भूमि आवंटन पर व्यक्तिगत सूचना दिये जाने का प्रावधान नहीं है जिसके कारण आवेदक के अभिभाषक व्दारा उठाई गई यह आपत्ति माने जाने योग्य नहीं है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव कलेक्टर जिला सिंगरोली व्दारा प्रकरण कमांक 194/2006-07 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 14-12-2011 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर